भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2860
जिसका उत्तर 6 अगस्त, 2025 को दिया जाना है।
15 श्रावण, 1947 (शक)

राष्ट्रीय परीक्षाओं में आधार-आधारित चेहरा प्रमाणीकरण का उपयोग

2860. श्री बिद्युत बरन महतोः
श्री दिनेशभाई मकवाणाः
श्री दिलीप शइकीयाः
श्री लुम्बाराम चौधरीः
श्री मनोज तिवारीः
डॉ. हेमांग जोशीः
श्री गोडम नागेशः
श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैयाः

क्या **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार आधार-आधारित चेहरा प्रमाणीकरण तकनीक को इसके वर्तमान अनुप्रयोगों के अलावा अन्य राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में भी लागू करने की योजना बना रही है;
(ख) सरकार द्वारा विभिन्न परीक्षा केंद्रों में नकल रोकने और परीक्षा में कदाचार को प्रभावी ढंग से कम करने के लिए इस तकनीकी अवसंरचना का विस्तार करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और
(ग) चेहरा प्रमाणीकरण सहित डिजिटल पहचान सत्यापन प्रणालियों से राष्ट्रीय परीक्षाओं के संचालन में पारदर्शिता बढ़ाने, अभ्यर्थियों के बीच विश्वास पैदा करने और प्रशासनिक जवाबदेही को मजबूत करने की किस प्रकार अपेक्षा की जाती है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ग): भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) निवासियों को उनके बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकीय डेटा के आधार पर 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या, आधार जारी करता है। यह सेवाएं प्रदान करने वाले संबंधित संगठन द्वारा किए गए प्रमाणीकरण के माध्यम से विभिन्न सेवाओं तक पहुंचने के लिए एक डिजिटल पहचान के रूप में कार्य करता है।

चेहरा प्रमाणीकरण, एक प्रकार का बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण है, जिसमें जीवंतता पहचान सुविधाएँ होती हैं, जो किसी व्यक्ति के चेहरे की विशेषताओं का उपयोग करके उसकी पहचान वास्तविक समय में सत्यापित करती हैं। यह किसी भी एंट्री-लेवल स्मार्टफोन से कहीं भी, कभी भी प्रमाणीकरण प्रदान करता है, जिससे किसी भी अतिरिक्त बायोमेट्रिक डिवाइस की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सुशासन (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियम, 2020 के तहत, मंत्रालयों/विभाग/संगठनों को परीक्षा सेवाओं सहित विभिन्न उपयोग मामलों के लिए आधार प्रमाणीकरण के उपयोग हेतु अधिकृत करता है। अभी तक, कर्मचारी चयन आयोग और रेलवे भर्ती बोर्ड को अपनी परीक्षाओं में उम्मीदवारों और अन्य अधिकारियों की पहचान सत्यापित करने के लिए चेहरे के प्रमाणीकरण का उपयोग करने के लिए अधिकृत किया गया है।

परीक्षाओं के दौरान वास्तविक समय आधार पर चेहरे की पहचान से नकल रोकने और कदाचार कम करने में मदद मिलती है। इससे पारदर्शिता बढ़ती है, अभ्यर्थियों में विश्वास बढ़ता है और प्रशासनिक जवाबदेही सुदृढ़ होती है।

*****